संख्या 4/1/2001--टी०सी०/का--2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1--समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन।
2--समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3--समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2002

विषय :-- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2002।

कार्मिक अनुभाग--2

महोदय,

उपरोक्त विषयक "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002" के प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक--यथोपरि।

भवदीय,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 4/1/2001--टी० सी०/का--2/2002, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
2--सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3--प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4--सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5--प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव आवास विभाग/सचिव पंचायतीराज विभाग।
6--राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7--प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
8--निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहाकारी समितियां, लखनऊ।
9--समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
10--समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11--निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
12--निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।
13--समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।
14--निबन्धक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
15--निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
16--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
17--सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
18--निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक आकादमी, लखनऊ।
19--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
20--समस्त निजि सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

क्रम-संख्या—242

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 अगस्त, 2002

भाद्रपद 09, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1576/सत्रह—वि—1—1 (क)-11-2002

लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), द्वितीय परन्तुक को छोड़कर, धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक), धारा 4, धारा 5, और धारा 6, 15 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायंगे, धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है'';

(ख) खण्ड (ख-1), (ख-2), (ख-3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :–

''(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	–	इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में	–	दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	–	सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ, जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी ;

(3) जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपधारा (2) के अधीन तीन विशेष भर्ती करने के पश्चात् भी बिना भरी रह जाय तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है'' ;

(ख) (एक) उपधारा (3–क), (3–ख) निकाल दी जायगी;

(दो) उपधारा (4) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:–

"(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।"।

अनुसूची–एक का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"अनुसूची–एक

[धारा 2 (ख) देखिये]

1–अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2–सोनार, सुनार, स्वर्णकार
3–जाट
4–कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-क्षत्रवार
5–गिरी
6–गूजर
7–गोसाई
8–लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
9–कम्बोज
10–अरख, अर्कवंशीय
11–काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
12–कहार, कश्यप
13–केवट, मल्लाह, निषाद
14–किसान
15–कोइरी
16–कुम्हार, प्रजापति
17–कसगर
18–कुजड़ा या राईन
19–गड़ेरिया, पाल, बघेल
20–गद्दी, घोसी
21–चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22–छीपी, छीपा
23–जोगी
24–झोजा
25–डफाली
26–तमोली, बरई, चौरसिया
27–तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28–दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
29–धीवर
30–नक्काल
31–नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
32–नायक
33–फकीर
34–बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35–बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान
36–बारी
37–बैरागी
38–बिन्द
39–बियार
40–भर, राजभर
41–भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कशोधन
42–भठियारा
43–माली, सैनी
44–स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
45–लोहार, लोहार-सैफी
46–लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
47–रंगरेज, रंगवा
48–मारछा
49–हलवाई, मोदनवाल
50–हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51–राय सिक्ख
52–सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी

53–धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54–कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
55–नानबाई
56–मीरशिकार
57–शेख सरवारी (पिराई), पीराही
58–मेव, मेवाती
59–कोष्टा/कोष्टी
60–रोड़
61–खुमरा, संगतराश, हंसीरी
62–मोची
63–खागी
64–तंवर सिंघाड़िया
65–कतुआ
66–माहीगीर
67–दांगी
68–धाकड़
69–गाडा
70–तंतवा
71–जोरिया
72–पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73–कलाल, कलवार, कलार
74–मनिहार, कचेर, लखेरा
75–मुराव, मुराई, मौर्य
76–मोमिन (अंसार)
77–मुस्लिम कायस्थ
78–मिरासी
79–नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण)''

अनुसूची-दो का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची-दो में,–

(क) अनुच्छेद एक में शब्द ''या रहा हो'' जहां कहीं भी आये हैं निकाल दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के उपखण्ड (ङ) में हिन्दी पाठ में आये हुए शब्द ''अस्थाई'' के स्थान पर शब्द ''स्थाई'' रख दिया जायगा;

अनुसूची-तीन का संशोधन

6–मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2002 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।